अभियंता प्रमख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– प्र०–6 / विविध– 164 / 2010 884 (E) w पटना, दिनांक– 17/2/17
प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / विमुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संवेदको को कालीसूची में डालने / विमुक्त करने की सूचना दी गई है जो निम्न है:–

क्र०सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभियुक्ति
1.	श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, ग्राम–बखोरापुर, थाना–बडहरा, वर्तमान महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला– भोजपुर नि०सं०–583 / 2011	ग्रामीण कार्य विभाग	10015 / 17.08. 2016 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाला गया।
2.	जितेन्द्र कुमार राय, पिता– श्री वृज बिहारी राय, पता– ग्राम+पो०– छित्रवलिया, थाना– एकमा, जिला– सारण नि०सं०– 257 / भवन / 2010 व्यक्तिगत	भवन निर्माण विभाग	10156 (भ) / 18.10.2016 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को काली सूची (संलग्न) में डाला गया है।
3.	श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता– श्री अचलदेव सिंह, पता– महाराजा हाता, थाना–आरा नवाद, जिला– भोजपुर नि०सं०– 583 / 2011	ग्रामीण कार्य विभाग	12335 / 28.10. 2016 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक को न्यायालय के निर्णय की तिथि 30.09. 2016 के प्रभाव से काली सूची से मुक्त किया गया।
4.	मेसर्स सिकरहना कंस्ट्रक्शन C / O– श्री राम चन्द्र प्रसाद ग्राम–सठौरा, पो०– झझरा, थाना– जितना, भाया– धोडासहन, जिला– पूर्वी चम्पारण नि०सं०– 424 / 2008 श्रेणी–द्वितीय	ग्रामीण कार्य विभाग	12292 / 26.10. 2016 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षो के लिए काली सूची मे डाला गया है।

अनु०:-- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 16/2/17
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
16/02/17

D-Feb-2017 (Tripurari)<Type Section> Hindi letter.....

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्यालय आदेश सं0–14/अ0प्र0–2–48/16– 10015 पटना, दिनांक– 17.8.16

याचिकाकर्ता द्वारा विभाग में कालीकरण के विरूद्ध समर्पित किये गये अपील के कम में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.07.16 को पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0 डब्लयू0 जे0 सी0 नं0–14349/2015, प्रशांत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 16.02.16 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत आदेश संख्या–10137, दिनांक 18.08.15 को निरस्त करते हुए इस मामले में पुनः नये सिरे से सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा लिखित रूप से एक आवेदन अनुलग्नक सहित समर्पित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि उक्त मामले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा नामित कुल सात गवाहों में से चार का कहना है कि उक्त कांड के विषय में वे नहीं जानते एवं इस संबंध में पुलिस ने बयान नहीं लिया था।

इस मामले में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 16.05.16 को सुनवाई के कम में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह के विरूद्ध आरा नवादा थाना में दर्ज कराये गये कांड संख्या–598/14 की अद्यतन स्थिति की मांग किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 6029, दिनांक 17.05.16 द्वारा पुलिस अधीक्षक, भोजपुर से दर्ज प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के पत्रांक–2660, दिनांक 22.06.16 के द्वारा उपरोक्त कांड की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराई गई।

पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के उक्त पत्र के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, आरा नवादा थाना के पत्रांक 1318, दिनांक 17.06.16 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अनुसंधान पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी के मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, ग्राम–बखोरापुर, थाना–बडहरा वर्तमान महाराजा हाता, थाना आरा नवादा, जिला–भोजपुर एवं दो अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया है। थानाअध्यक्ष के उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि न्यायिक जमानत के उपरान्त आरोप पत्र सं0–10/15, दिनांक 31.01.15 के प्राथमिकी अभियुक्त प्रशांत कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के माध्यम से समर्पित रिपोर्ट में मामले को सत्य बताया गया है। उक्त मामला वर्तमान में सिविल कोर्ट, आरा में लंबित है।

चुकि इस मामले में अभियुक्त श्री प्रशांत कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अतः ऐसी परिस्थिति में श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, ग्राम–बखोरापुर, थाना–बडहरा वर्तमान महाराजा हाता, थाना आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583/2011) को बिहार, संवेदक निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (i) एवं 11 (v) के तहत आदेश की तिथि से दस वर्ष अथवा कांड संख्या–598/14 के मामले में संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने पर जो भी पहले हो के लिए कालीकृत किया जाता है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाता है कि उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता है, तो वे उक्त न्यायादेश की प्रति संलग्न कर पुनः अपील कर सकते हैं।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

3897
31/8/16

11208 387

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–2—48/16– 10015 पटना, दिनांक– 17.8.16

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
(अनु0–अभि0 प्र0, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.08.16 को पारित आदेश की छायाप्रति)।

16/08/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–2—48/16– 10015 पटना, दिनांक– 17.8.16

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

16/08/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–2—48/16– 10015 पटना, दिनांक–17.8.16

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। कृपया इसे विभागीय साईट पर अपलोड करें।

16/08/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–2—48/16– 10015 पटना, दिनांक–17.8.16

प्रतिलिपि– संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, ग्राम–बखोरापुर, थाना–बड़हरा वर्तमान महाराजा हाता, थाना आरा नवादा , जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583/2011) को सूचनार्थ प्रेषित।
(अनु0–अभि0 प्र0, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.08.16 को पारित आदेश की छायाप्रति)।

16/08/16

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

40

आदेश सं0 भवन–/अभि0प्र0 (नि0)–02–विविध–17/2015(खंड) 274 पटना, दिनांकः– 18.10.16

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

संवेदक, श्री जितेन्द्र कुमार राय पिता–श्री बृज बिहारी राय पता–ग्राम+पो0–छित्रवलिया, थाना–एकमा, जिला–सारण निबंधन सं0–257/भवन/2010 (व्यक्तिगत) द्वारा सारण जिले के माँझी प्रखंड अन्तर्गत कम्प्यूटर डाटा केन्द्र–सह–अभिलेखागार–भवन के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता भवन अंचल, छपरा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–981 दिनांकः–27.06.2015 द्वारा कालीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–7953 दिनांक–31.07.2015 से श्री राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। श्री राय से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण विभागीय पत्रांक–2809 दिनांकः–16.03.2016 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना प्रचारित कराया गया। संवेदक द्वारा दिनांकः–09.03.2016 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

अधीक्षण अभियंता भवन अंचल छपरा से संवेदक श्री जितेन्द्र कुमार राय के स्पष्टीकरण पर मंतव्य देने हेतु विभागीय पत्रांक–4376 दिनांकः–13.05.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसपर अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–469 दिनांकः–23.06.2016 द्वारा संवेदक श्री राय को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी। विभागीय समिति की बैठक दिनांकः–03.08.2016 को कार्यपालक अभियंता के प्रस्ताव एवं अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा पर श्री जीतेन्द्र कुमार राय के निबंधन को कालीसूची में डालने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार राय पिता–श्री बृज बिहारी राय पता–ग्राम+पो0– छित्रवलिया थाना–एकमा, जिला–सारण, के निबंधन सं0–257/भवन/2010 व्यक्तिगत को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) (ii) के अनुरूप कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
18.10.16
––अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 10156 (अ) पटना दिनांकः– 18.10.16

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र कुमार राय पिता–श्री बृज बिहारी राय पता–ग्राम+पो0–छित्रवलिया, थाना–एकमा, जिला–सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
18.10.16
–– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 10156 (अ) पटना दिनांकः– 18.10.16

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आ0/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
18.10.16
–– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग

385

ज्ञापांकः– 10156 (ल) पटना दिनांकः– 18.10.16

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल छपरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल छपरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/16
— अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 10156 (ल) पटना दिनांकः– 18.10.16

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/10/16
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
14/10/16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

आदेश सं0–14 / अ0प्र0–2–48 / 16– 12335 पटना,दिनांक– 25.10.16

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, आरा के साथ दुर्व्यवहार करने की सूचना के आलोक में संवेदक श्री प्रशांत कुमार से कारणपृच्छा कर समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–10137, दिनांक 18.08.2015 के द्वारा संवेदक को कालीकृत किया गया। दुर्व्यवहार एवं अभित्रासित करने की सूचना देते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा द्वारा संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह के विरूद्ध आरा नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें संवेदक के विरूद्ध आरा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराया गया था। उधर कालीकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0–14349 / 2015 दायर कराया गया था। सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 नं0–14349 / 2015, प्रशांत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री प्रशांत कुमार सिंह द्वारा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील किया गया था। उक्त अपील की सुनवाई के पश्चात सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पारित आदेश में अभियंता प्रमुख के आदेश संख्या–10137, दिनांक 18.08.2015 को set aside करते हुए पुनः नये सिरे से सुनवाई कर विधिमान्य आदेश पारित करने का निदेश दिया गया ।

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पारित आदेश के आलोक में उक्त मामले मे पुनः सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–10015, दिनांक 17.08.2016 के द्वारा संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583 / 2011) को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11(i) एवं 11(v) के तहत 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया था। उक्त वारदात से संबंधित मामला माननीय न्यायालय में लंबित होने के कारण कालीकरण के आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया था कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किये जाने पर वे उक्त न्यायादेश की प्रति संलग्न कर विभाग में अपील कर सकते है।

उक्त मामले में आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किए गये न्याय निर्णय में अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश की प्रति संवेदक द्वारा विभाग में समर्पित किये जाने के उपरान्त आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किए न्यायादेश के आलोक में निर्णय की तिथि 30.09.2016 से संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह को काली सूची से मुक्त करने का आदेश सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2016 को पारित किया गया है।

अतः आपराधिक न्यायालय, आरा, भोजपुर द्वारा दिनांक 30.09.2016 को पारित किये गये न्याय निर्णय के आधार पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2016 को पारित आदेश के आलोक में संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583 / 2011) को न्यायालय के निर्णय की तिथि 30.09.2016 के प्रभाव से विभागीय काली सूची से मुक्त किया जाता है।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

383

ज्ञापांक–14/अ०प्र०–3–48/16– 12335 पटना, दिनांक–28.10...

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु०) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ०प्र०–3–48/16– 12335 पटना, दिनांक–28.10.16

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय साईट पर अपलोड करें।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ०प्र०–3–48/16– 12335 पटना, दिनांक–28.10.16

प्रतिलिपि– संवेदक श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता–श्री अचलदेव सिंह, पता–महाराजा हाता, थाना–आरा नवादा, जिला–भोजपुर (निबंधन संख्या–583/2011) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

30

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्यालय आदेश सं0–14/अ0प्र0–3–6/16– 12292 पटना,दिनांक– 26-10-16

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा 1 के कार्यालय पत्रांक 48 अनु0, दिनांक 11.01.2014 एवं पत्रांक 194, दिनांक 20.02.2015 के द्वारा सूचित किया गया कि कार्य प्रमंडल बगहा 1 में पीएमजीएसवाई अंतर्गत नवगॉवा से भटैया पथ (पैकेज संख्या–बीआर–37 आर–050) के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य हेतू संवेदक मेसर्स सिकरहना कन्सट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण के साथ दिनांक 23.02.10 को एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा के तहत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 23.02.2010, जबकि कार्य समाप्त करने की तिथि 22.02.2011 थी। परन्तु संवेदक द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 623, दिनांक 17.09.2010 एवं कई मौखिक सूचना के उपरान्त लगभग 11 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कराया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रथम चालू विपत्र के पश्चात संवेदक द्वारा कार्य को लगभग 6 माह बंद रखा गया। तत्पश्चात दूसरे चालु विपत्र के कार्य एवं भुगतान के उपरान्त संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड दिया गया, जो अभी तक अपूर्ण है। इस संबंध में उनके कार्यालय पत्रांक 1031, दिनांक 03.11.14 द्वारा उक्त संवेदक के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है। उक्त तथ्यों की सूचना देते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त अनुशंसा पत्र की छायाप्रति संवेदक को उपलब्ध कराते हुए उक्त तथ्यों के आलोक में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य, दिनांक 26.05.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में नोडल पदाधिकारी, पीएमजीएसवाई से मंतव्य की मांग की गई। नोडल पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में उल्लेखित किया गया है कि उक्त योजना वर्ष 2008–09 का है। इतनी लंबी अवधि तक कार्य लंबित रखे जाने में फंड की कमी का कार्य स्वीकार्य नहीं हो सकता है। साथ ही मंतव्य में यह भी कहा गया है कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ विपत्र समर्पित करने एवं भुगतान प्राप्त करने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। समीक्षोपरान्त नोडल पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के आधार पर उक्त संवेदक को कालीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 के उप कंडिका (vi) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0–154, दिनांक 18.06.2016 की कंडिका 8 (1)(c) के तहत संवेदक मेसर्स सिकरहना कन्सट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण के निबंधन संख्या–424/2008, श्रेणी–द्वितीय को 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–6/14– 12292 पटना, दिनांक– 26.10.16

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारर्वाई हेतू प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(38)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3—6 / 14– 12292 पटना, दिनांक–26.10.16

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय साईट पर अपलोड करें।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3—6 / 14– 12292 पटना, दिनांक–26.10.16

संबंधित

प्रतिलिपि– मेसर्स सिकरहना कन्सट्रक्शन, C/o- श्री रामचंद्र प्रसाद, ग्राम–सठौरा, पो0–झझरा, थाना–जितना, भाया–घोडासहन, जिला–पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

25